न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.— 09/2013
जी.सी.एम.एस. : 2013/00153

1. श्योपतराम दत्तक पुत्र मंगलाराम जाति ब्राहमण निवासी 1 बीडब्लयूएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

—:प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र प्रभुराम जाति ब्राहमण निवासी 1 बीडब्लयूएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

—:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः—
1. श्री सोहनलाल जोशी, वकील प्रार्थी
2. श्री अवतार सिंह, वकील अप्रार्थी

—: निर्णय :—

दिनांक : 25.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी चक 1 बीडब्लयूएम के मु.नं. 25 प.नं. 289/351 के 25.00 बीघा भूमि खातेदारी धारण करता हैं। जिसको प्रार्थी स्वयं काश्त करता हैं तथा कि.नं. 24 में ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित निवास करता हैं। अप्रार्थी प्रार्थी का भाई हैं। अप्रार्थी धनाढय व रानैतिक स्पोट वाला व्यक्ति हैं तथा प्रार्थी की कमजोरी व गरीबी को देखते हुए प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने की फिराक में हैं। अप्रार्थी को प्रार्थी की भूमि में घुसने का कोई अधिकार नहीं हैं। यदि अप्रार्थी प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा ले लेगा तो प्रार्थी अपनी काश्त की हुई मौजूदा फसल से वंचित हो जावेगा। प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को स्वयं या उसके हितबद्ध व्यक्ति द्वारा मु.नं. 25 प.नं. 289/351 के 25 बीघा नहरी भूमि में अतिक्रमण करने से व प्रार्थी को बेदखल करने से वर्जित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन करने पर दिनांक 08.02.2013 को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गयी। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाब अप्रार्थी प्रस्तुत नहीं होने के कारण दिनांक 20.05.2019 को जवाब अप्रार्थी बंद किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी हैं। अतः प्रार्थी को उसकी खातेदार भूमि पर अतिक्रमण कर बेदखल करने से अप्रार्थी को वर्जित करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने इसका विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी चक 1 बीडब्लयूएम संवत 2066—69 खाता सं. 28/23 मु.नं. 25 प.नं. 289/351 की कुल 6.325है. कमाण्ड भूमि श्योपत पि.मु. मंगलाराम कौर ब्राम्हण सा. 28 एमएल खातेदार दर्ज हैं। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने व प्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल नहीं किये जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर [illegible] अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि [illegible] बीडब्लयूएम के खाता सं. 28/23 मु.नं. 25 प.नं. 289/351 की कुल 6.325है. [illegible] प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर से प्रार्थी को बेदखल करने अथवा प्रार्थी के कब्जा काश्त में मदाखल[illegible] करने से बाज व ममनु रहे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.25 11:45:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner